प्रधान मंत्री रोजगार योजना के लाभार्थियों को छूट दिया जाना

*393. **श्री डी०पी० यादव:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता में छूट देने का फैसला किया गया है तथा योजना के तहत कार्य का दायरा बढ़ा दिया गया है; और

(ख) क्या इस दायरे के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों, पूर्व सैनिकों, महिलाओं व विकलांगों को भी शामिल किया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, हां। भारत सरकार ने प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अधीन आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता आदि के संबंध में कुछ मानदंडों का संशोधन और कार्य क्षेत्र का विस्तार किया है। इस संबंध में ब्यौरे "विवरण" में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ख) जी, हां। इसके कार्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों भूतपूर्व सैनिकों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

विवरण

क्र०सं०	मानदंड	पुराने	संशोधन
1.	आयु	18 से 35 वर्ष के बीच की आयु के सभी शिक्षित बेरोजगार	(i) पूर्वोत्तर राज्यों में सभी शिक्षित बेरोजगारों के लिए 18 से 40 वर्ष (ii) देश के शेष भागों में सभी शिक्षित बेरोजगारों के लिए 18-35 वर्ष (iii) अनु०जाति/अनु०जन जाति, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग तथा महिलाओं के लिए 18-45 वर्ष
2.	शैक्षिक योग्यता	मैट्रिक (पास या फेल) अथवा आई टी आई पास या सरकार द्वारा प्रायोजित कम से कम 6 महीने की अवधि का तकनीकी प्रायोजित पाठ्यक्रम किया हो।	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण। उन व्यक्तियों को वरीयता दी जायेगी जिन्होंने सरकारी संस्थाओं में किसी ट्रेड में कम से कम 6 महीने अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
3.	पारिवारिक आय	लाभ प्राप्तकर्ता के पति या पत्नी सहित और लाभ प्राप्तकर्ता माता-पिता की अलग से वार्षिक आय 24000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।	(i) न तो लाभ प्राप्तकर्ता की आय पति/पत्नी सहित और न ही लाभ प्राप्तकर्ता के माता पिता की आय अलग से प्रति वर्ष 24000/- रुपये से अधिक नहीं होगी। (ii) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 40,000 रुपये वार्षिक तक।
4.	चूककर्ता	किसी राष्ट्रीय बैंक/वित्तीय संस्थान/सहकारिता बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।	किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान/सहकारी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस किसी व्यक्ति को अन्य सरकारी योजनाओं से संबद्ध राजसहायता के अंतर्गत पहले ही सहायता दी गई हो, वह व्यक्ति इस योजना का पात्र नहीं होगा।
5.	इसके अधीन कार्यकलाप	उद्योग सेवा तथा कारोबार कार्यकलाप कारोबार क्षेत्र से 30% से अधिक उद्यमी नहीं होने चाहिए।	कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप सहित आर्थिक रूप से जीव्यक्षम सभी गतिविधियां। लेकिन फसल उगाने, खाद खरीदने आदि जैसे सीधे कृषि कार्यों को छोड़कर।

क्र०सं०	मानदंड	पुराने	संशोधन
6.	परियोजना लागत	व्यक्तियों के मामले में इस योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत 1 लाख रुपये तक की होगी। यदि दो या इससे अधिक पात्र व्यक्ति एक साथ भागीदारी करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत 5 लाख रुपये तक होगी।	कारोबार क्षेत्र के लिए 1 लाख रुपये। अन्य क्रियाकलापों हेतु 2 लाख रु० ऋण मिश्रित प्रकृति का होना चाहिए। यदि 2 या अधिक पात्र व्यक्ति किसी परियोजना की भागीदारी में हिस्सेदार बन जाते हैं तो इसमें 10.00 लाख रु० तक की परियोजना शामिल होगी, व्यक्तिगत रूप में स्वीकृतियों तक सीमित रहेगी।
7.	राजसहायता एवं सीमांत राशि	राजसहायता परियोजना लागत के 15% तक सीमित होगी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति उद्यमी 75000/-रु० की राशि के अधीन होगी। उद्यमी से सीमांत राशि परियोजना लागत के 5% ली जाएगी।	(i) राज सहायता प्रति उद्यमी के लिये परियोजना लागत की 15% तक सीमित होगी, बशर्ते कि उच्चतम सीमा 7500 रु० तक हो। बैंकों को उद्यमियों से परियोजना लागत का 5% से 16.25% तक भिन्न-भिन्न सीमांत राशि लेने की अनुमति होगी ताकि कुल राज सहायता तथा सीमांत राशि परियोजना लागत के 20% के बराबर हो सके। (ii) 15,000 रुपये की अधिकतम सीमा शर्त पर परियोजना लागत के 15% की दर पर राजसहायता। उद्यमियों से सीमांत राशि का अंशदान परियोजना लागत का 5% से 12.5% तक भिन्न हो सकता है ताकि राजसहायता का जोड़ तथा सीमांत राशि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परियोजना लागत का 20% के संतुल्य किया जा सके।
8.	कोलेटरल	इस क्रम के लिए प्रतिभूति गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। केवल वही परिसंपत्तियां जो इस योजना के अंतर्गत सृजत की गई हैं बैंक के पास बंधक रहेगी।	एक लाख रु० तक की राशि की परियोजना के लिए कोई कोलेटरल नहीं है। साझेदारी परियोजना के मामले में भी कोलेटरल से छूट परियोजना में सहभागी प्रत्येक व्यक्ति के लिये 1 लाख रु० तक सीमित होगी।
9.	ब्याज की दर तथा वसूली सारणी	सामान्य बैंक ब्याज दर लगाई जाएगी। 6 से 18 महीनों के प्रारंभिक अधिस्थगन के बाद वसूली की अवधि 3 से 7 वर्ष तक की होगी।	सामान्य दर पर ब्याज वसूल किया जायेगा। अदायगी की समयावधि प्रारंभिक अधिस्थगन, जिसे निर्धारित किया जा सकता है, के पश्चात 3 से 7 वर्ष की अवधि के बीच होगा।

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग

*394. **प्रो० रामबख्श सिंह वर्मा:**
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों की संख्या कितनी है और उनका जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए उपाय करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में 3,42,812 पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयां थीं। इकाइयों के जिले-वार संख्या संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। **(नीचे देखिए)**

(ख) जी, हां।